डॉ0 एन0 सरवण कुमार, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 04.05.2014 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से सम्पन्न लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यशाला की कार्यावाही।

उपस्थिति –

1. अपर जिला दंडाधिकारी, पटना।
2. नोडल पदाधिकारी,आर0टी0पी0एस0–सह–स्थापना उप समाहर्त्ता, पटना।
3. सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला।
4. सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना जिला।
5. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला।
6. सभी अंचल अधिकारी, पटना जिला।
7. सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारी (प्रशिक्षु) पटना जिला।
8. आई0 टी0 प्रबन्धक, पटना।
9. सभी सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, पटना जिला।
10. सभी कार्यपालक सहायक, पटना जिला।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, पटना द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों/कर्मियों का स्वागत करते हुए लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आर0टी0पी0एस0) से सम्बन्धित कार्यशाला की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। जिलाधिकारी, पटना ने सुश्री इनायत खान, भा0प्र0से0, (प्रशिक्षु) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंडारक को सम्बोधित करते हुए उनसे उनके कार्यों एवं अनुभव के बारे में बताने को कहा।

सुश्री इनायत खान द्वारा बहुत हीं सुंदर एवं सरल ढंग से एक विशेष पावर प्वांइट प्रजेंटेशन द्वारा अपने कार्य एवं अनुभव को प्रस्तुत किया गया। जिसमें बहुत सारी जानकारियों के साथ–साथ अनुशासन एवं कार्यालय प्रबंधन के बारे में विशेष प्रकाश डाला गया।

जिलाधिकारी, पटना ने सुश्री इनायत खान के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामना दी एवं उनके अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए प्रशंसा एवं सराहना की। मात्र बीस मिनट के इतने अच्छे प्रजेंटेशन से जिलाधिकारी काफी प्रभावित हुए।

इसके बाद RTPS कार्यशाला की कार्यवाही के बारे में चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जिला क्षेत्रान्तर्गत लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यशाला का आयोजन एक वर्ष से हो रहा है। यह प्रायः प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को पूवाह्न 10.00 बजे आयोजित होता है। जिसके परिणाम संतोषप्रद हैं। जिलाधिकारी द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के उद्धेश्य एवं गुणवत्ता पर भी संक्षिप्त प्रकाश डाला गया।

पेंशन से संबंधित मामले में कार्यशाला प्रारम्भ से पहले की स्थिति अर्थात प्रारम्भ से जनवरी 2012 तक समय सीमा के पश्चात निष्पादित होने वाले आवेदनों का प्रतिशत 34.53 था जो कि एक वर्ष में 21.26% एवं पिछले तीन माह में मात्र 9.98% हुआ है।

इसी प्रकार दाखिल–खारिज एवं एल0पी0सी0 से संबंधित आवेदनों का समय सीमा के पश्चात निष्पादन प्रारम्भ से जनवरी 2012 तक 57.63% था जो कार्यशाला आरम्भ का माह अर्थात फरवरी 2012 से जनवरी 2013 तक 21.63 प्रतिशत हो गया है एवं पिछले तीन माह में यह मात्र 92.98% हुआ है।

दाखिल खारिज के मामलों में अस्वीकृति का प्रतिशत भी धटकर 14.54 से 10.57 हो गया है जो अत्यन्त सराहनीय है।

1. समाजिक सुरक्षा से संबंधित आवेदनों के निष्पादन में अच्छे कार्य करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी यथा बख्तियारपुर (नियत समय सीमा के पश्चात निष्पादित आवेदन 0% एवं अस्वीकृत आवेदन 2.88%), बेलछी (नियत समय सीमा के पश्चात निष्पादन 0% एवं अस्वीकृत आवेदन 5.41%) एवं विक्रम (नियम समय सीमा के पश्चात निष्पादित 0 प्रतिशत एवं अस्वीकृत आवेदन 7.14%) के कार्यों की प्रशंसा जिलाधिकारी, पटना द्वारा की गई एवं संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों यथा मसौढ़ी (नियत समय सीमा के पश्चात निष्पादित 46.43% एवं अस्वीकृत आवेदन 0%), बाढ़ (नियत समय सीमा के पश्चात निष्पादित 38.64 प्रतिशत एवं अस्वीकृत आवेदन 10.61%), धनरूआ (नियम समय सीमा के पश्चात निष्पादित 14.54 एवं अस्वीकृत 54.02%) को अपने कार्य में सुधार लाने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया एवं कार्य में लापरवाही बरतने हेतु स्पष्टीकरण की मांग करने का भी निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी को पुनपुन में हुए 88.75% अस्वीकृत आवदनों की जॉच करने का आदेश दिया गया।

2. राजस्व संबंधी मामलों में पटना सदर अंचल (नियत समय सीमा पश्चात निष्पादित 0% एवं अस्वीकृत 0.65%), बेलछी अंचल (नियत समय सीमा पश्चात निष्पादित 0% एवं अस्वीकृत 1.12%), दनियावा अंचल (नियत समय पश्चात निष्पादित 0% एवं अस्वीकृत 2.83%) की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी, पटना द्वारा प्रशंसा की गई।

3. राजस्व मामलों में दुल्हिन बाजार अंचल (नियत समय सीमा के पश्चात 71.48%एवं अस्वीकृत आवेदन 2.59%), धनरूआ अंचल (नियत समय सीमा के पश्चात निष्पादित 52.14% एवं अस्वीकृत आवेदन 9.64%), मोकामा अंचल (नियत समय सीमा के पश्चात 26.02% एवं अस्वीकृत आवेदन 39.29%) के संबंध में जिलाधिकारी, पटना द्वारा उक्त अंचलों के अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग का निदेश दिया गया।

4. जाति, आय एवं अवासीय प्रमाण पत्रों के निष्पादन में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसमें काफी सुधार आया है। कार्यशाला प्रारम्भ से पहले जहां 25 % से से अधिक आवेदनों का निष्पादन समय सीमा के बाद किया गया वहीं 95% से घटकर 1% से भी कम हो गया है। इसी प्रकार आनलाइन प्राप्त आवेदनों का समय सीमा के पश्चात निष्पादन जहां 34.62% होना था वहीं अब वह मात्र 0.81% हो गया है। जिसके लिए सभी अंचलाधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं। परन्तु अंचलाधिकारी नौबतपुर द्वारा ऑनलाइन प्राप्त 24.63% आवेदनों को समय सीमा के पश्चात निष्पादित करने के फलस्वरूप जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं स्पष्टीकरण की मांग हेतु निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी, पटना द्वारा यह भी बताया गया कि नौबतपुर अंचल से काफी शिकायत आ रही है कि वहां अनियमितता बढ़ गई है। जिलाधिकारी द्वारा काफी नाराजगी प्रकट करते हुए स्पष्टीकरण का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी, पटना द्वारा यह निदेश दिया गया कि टीम गठित कर कार्य करना श्रेयस्कर है। अनुमंडल पदाधिकारी को स्वयं जॉच करने, कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। कार्यशाला में उपस्थित नये अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी को कार्यशाला से संबंधित जानकारी नोडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया एवं उनको कार्यशाला की महत्ता के बारे में भी बतया गया।

RTPS के तहत तत्काल सेवा की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक 22504 आवेदन हीं प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने इसके प्रचार–प्रसार के लिए पम्पलेट एवं बैनर लगाने का निदेश दिया गया। प्रत्येक अंचल में इसके लिए अलग से कार्यपालक सहायक दिया गया है।तत्काल सेवा से संबंधित आवेदनों को ससमय निष्पादित होने एवं आवेदको को इस हेतु जागरूक करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।

नोडल पदाधिकारी–सह स्थापना उप समाहर्त्ता, पटना द्वारा कार्यशाला में उपस्थित सभी कार्यपालक सहायकों एवं सभी आई0टी0 सहायकों को बताया गया कि प्रत्येक माह के 25 तारीख तक अनुपस्थिति विवरणी ईमेल के माध्यम से निश्चित रूप से भेज दिया जाए।

अंचलाधिकारी अथमलगोला द्वारा पूछे गये प्रश्न कि पदाधिकारियों एवं सहायकों के बीच Communication Gap को किस तरह कम किया जाए। इस पर जिलाधिकारी, पटना द्वारा सुझाव दिया गया कि आपस में बातचीत एवं साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया जाए।

अंत में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम की महत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य को तत्परता से करने, टीम एवं समन्वय भावना से कार्य करने के निदेश के साथ सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक XLI-02/14-1265 /पटना, दिनांक 29/05/14

प्रतिलिपि– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना, प्रमंडल, पटना/अपर समाहर्त्ता, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (सामान्य),पटना/स्थापना उप समाहर्त्ता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना जिला/जिला अवर निबंधक, पटना/वाणिज्कर पदाधिकारी, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/नजारत उप समाहर्त्ता, पटना/सभी वरीय उप समाहर्त्ता, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, पटना/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अंचलाधिकारी, पटना जिला/जिला आई0टी0 प्रबंधक, पटना/जिला सूचना प्रौद्यौगिकी सहायक, पटना जिला/सभी कार्यपालक सहायक, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।